भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 805
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

न्यायालयों की संख्या

+805. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित देश में निचली अदालतों तथा उच्च न्यायालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात सहित देश में न्यायाधीशों के अनुपात के साथ स्थापित न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उक्त अनुपात बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त भिन्नता से निपटने हेतु किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या वर्ष 2014 में 20,214 से बढ़कर वर्ष 2017 में 22623 हो गई है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में 906 से बढकर 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या न्यायाधीश-मामला अनुपात के साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों(राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के वेब पोर्टल पर उपलब्धता के अनुसार)के न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या के राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध** पर विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) :केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं । इन उपायों में से एक उपाय, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से जिलों में न्यायिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण है, जिनमें वर्ष 1993-94 से कुल 6,020 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 2,575 करोड़ रूपए (42.77%) अप्रैल, 2014 से जारी किए गए हैं। आज तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 17,798 न्यायालय हॉल तथा 13,759 निवास स्थान उपलब्ध कराये गए हैं। इनमें से, वर्ष 2014 से आज की तारीख तक 1,980 न्यायालय हॉल तथा 3,548 निवास स्थान सन्निर्मित किए गए थे । इसके अतिरिक्त, 2,966 न्यायालय हॉल तथा 1,692 निवास स्थान निर्माणाधीन हैं। केन्द्रीय सरकार ने, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 3,320 करोड़ रुपए अनुमानित लागत के साथ केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीसीएस) को 12 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 01.04.2017से 31.03.2020 से आगे जारी रहने का अनुमोदन कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक आरम्भ की गई ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के चरण 1 के अधीन, 14,249 न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य के मुकाबले में, 13,672 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत हार्डवेयर, एलएएन और सॉफ्टवेयर का संस्थापन भी आता है। कम्प्यूटरीकरण ने न्यायालयों को मामले की प्रास्थिति तथा आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करने में समर्थ बनाया है। मामलों की प्रास्थिति तथा निर्णयों की प्रतियां भी सम्बन्धित जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों, जिनका कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई हैं। चरण-1 के लिए 935.00 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे, जिनमें से 639.41 करोड़ रूपए उपयोग किए गए थे।

ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के चरण-2 में (जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक), 1,670 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है और अभी तक 921.75 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। ई-सेवाओं, जैसे-सतर्कता सूचियों, मामलें की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों, निर्णयों आदि की सुविधाएं उच्चतम न्यायालय की ई-समिति तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालयों की कम्प्यूटर समितियों के पर्यवेक्षणाधीन प्रदान की जा रही हैं। आज तक कुल 16,089 न्यायालयों को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 2015-17 की अवधि के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा भी 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच प्रचालित की गई हैं। इस परियोजना के अधीन विकसित राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) देश में कम्प्यूटरीकृत जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सिविल और दांडिक मामलों, जिनके अन्तर्गत लम्बित मामले भी हैं, के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।

एक अन्य पहल, जिसको न्याय तक पहुंच का सुधार करने के फोकस के साथ आरम्भ किया गया है, वह 20 अप्रैल, 2017 को आरम्भ की गई टैली लॉ स्कीम ही है, जो सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को अग्रसक्रियता के साथ विधिक सलाह प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पहल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) में नियुक्त वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से विधिक सलाह के परिदान को सुकर बनाती है। इस स्कीम के अधीन पराविधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) सामान्य सेवा केन्द्रों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से सम्भाव्य मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को वकीलों के साथ जोड़ते हैं, जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। स्कीम का 11 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम) की 1800 ग्राम पंचायतों में आरम्भ किया गया है । इस स्कीम के अधीन कुल 12,218 मामले पराविधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और 9,094 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है। सरकार ने अप्रैल, 2017 में स्वैच्छिक विधिक सेवाओं के लिए एक स्कीम भी आरम्भ की है जिसमें हितबद्ध वकील और मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति वेबसाइट (www.doj.gov.in) पर ऐसी स्वैच्छिक विधिक सेवाएं, जिनकी अपेक्षा की जाए, प्रदान करने के लिए और उनका लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रीकृत करा सकते हैं। अभी तक, 202 वकीलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है और 298 से अधिक मामले स्वैच्छिक सहायता के लिए समनुदेशित किए गए हैं। न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक लम्बित मामलों को कम करने के लिए, सरकार ने हाल ही में न्यायमित्र स्कीम का शुभारम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 16 राज्यों के 227 चयनित जिले आते हैं। इस स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दस वर्ष से अधिक के लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए 'न्यायमित्र' के रूप में लगाया जाता है और पदाभिहीत किया जाता है। पहले चरण में 15 न्यायमित्रों को लगाया गया है।

****

उपाबंध

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या805 जिसका उत्तर तारीख 07.02.2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

न्यायाधीश-मामला अनुपात के साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या और लंबित मामलों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृतपद संख्या *	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या #	लंबित मामले प्रति न्यायाधीश
1	अंदमान और निकोबार	1 1	11185	1017
2	आंध्र प्रदेश औरतेलंगाना	987	934419	947
3	असम	428	227812	532
4	बिहार	1828	1687698	923
5	चंडीगढ़	30	40297	1343
6	छत्तीसगढ़	398	271585	682
7	दिल्ली	799	623037	780
8	दमण और दीव और दादराऔरनागर हवेली	7	5300	757
9	गोवा	55	40069	729
10	गुजरात	1496	1636374	1094
1 1	हरियाणा	645	636142	986
12	हिमाचल प्रदेश	159	212471	1336
13	जम्मू-कश्मीर	253	115997	458
14	झारखंड	672	333954	497
15	कर्नाटक	1303	1389357	1066
16	केरल	535	1157412	2163
17	मध्य प्रदेश	2021	1343576	665
18	महाराष्ट्र	2097	3359446	1602
19	मणिपुर	49	9928	203
20	मेघालय	97	7023	72
21	मिजोरम	63	3316	53
22	ओडिशा	862	1031431	1197
23	पंजाब	674	568896	844
24	राजस्थान	1225	1443046	1178
25	सिक्किम	23	1490	65
26	तमिलनाडु	1257	1020435	812
27	त्रिपुरा	107	25037	234
28	उत्तर प्रदेश	3204	6341367	1979
29	उत्तराखंड	291	213971	735
30	पश्चिमी बंगाल	956	1784843	1867

***स्रोतःउच्च न्यायालय / राज्य सरकार / #स्रोतःएनजेडीजीका वेब-पोर्टल।**

$अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संबंध मेंलंबित होने का आंकड़ाराष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल परउपलब्ध नहींहै।

****